

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नर्मदापुरम(म0प्र0)

--आदेश--

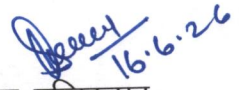
क्रमांक 610 / दो-11-8 / 2015

नर्मदापुरम, दिनांक 16.06.2026

श्री कृष्ण कुमार भटकरे, प्रवर्तन लिपिक न्यायालय सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड सिवनी मालवा द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आलोक में उनका दिनांक 28.04.2026 से 05.05.2026 तक कुल 08 दिवस का अर्जित अवकाश मय मुख्यालय अनुमति, भविष्य में पुनरावृत्ति न करने की हिदायत के साथ स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश स्वीकृति पश्चात् आवेदक के अर्जित अवकाश लेखे में 292 दिवस का स्वत्व शेष है।

- 1- उपरोक्त अवकाश अवधि में धारित पद रिक्त रहा।
- 2- अवकाश अवधि मूलभूत नियम 26 (बी) (दो) के तहत प्रमाणित की जाती है।

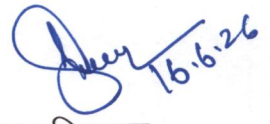
  
जिला रजिस्ट्रार  
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम,(म.प्र.)

पृ0क0 <sup>2536</sup> ~~610~~ / दो-11-8 / 2015

नर्मदापुरम, दिनांक 16.06.2026

यथाआदेश प्रतिलिपि:-

01. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, सिवनी मालवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड सिवनी मालवा की ओर सूचनार्थ एवं श्री कृष्ण कुमार भटकरे, प्रवर्तन लिपिक को सूचित कराये जाने हेतु प्रेषित है।
03. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, नर्मदापुरम की ओर वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।

  
जिला रजिस्ट्रार  
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम,(म.प्र.)

OK